**भारत सरकार**

**आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 1017**

**05 फरवरी 2026, को उत्तर दिए जाने के लिए**

**आवास आवंटन में अनाथों के लिए आरक्षण**

**1017. श्री तमिलसेल्वन थंगाः**
**डॉ. गणपथी राजकुमार पी.:**

**क्या आवासन और शहरी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) क्या केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (पीएमएवाई-यू) के अंतर्गत अनाथों को आवास इकाइयों के आवंटन की बुकिंग/पंजीकरण में कोई आरक्षण निर्धारित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;
(ख) पीएमएवाई-यू के अंतर्गत अनाथों के लिए आरक्षित आवास इकाइयों की कुल संख्या कितनी है; और
(ग) आज की तिथि के अनुसार, पीएमएवाई-यू के अंतर्गत देश भर में शहर-वार और राज्य-वार, विशेषकर तमिलनाडु में, कितने अनाथों को आवास आवंटित किए गए हैं और इन्होंने कितनी इकाइयों का स्वामित्व ले लिया है?

**उत्तर**

**आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री**

**(श्री तोखन साहू)**

(क) से (ग) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) दिनांक 25.06.2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसका उद्देश्य देश भर में पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं वाले हर मौसम में रहने योग्य पक्के आवास प्रदान करना है।

पीएमएवाई-यू के कार्यान्वयन के अनुभवों से मिली सीख के आधार पर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने योजना को नया रूप दिया है और अगले पांच वर्षों में 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों की सहायता करने के लिए देश भर के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए 01.09.2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन शुरू किया है। पीएमएवाई-यू

2.0 का चार घटकों अर्थात् लाभार्थी-आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के दिशा-निर्देशों को athttps://pmay-urban.gov.in/uploads/guidelines/Operational-Guidelines-of-PMAY-U-2.pdf पर देखा जा सकता है।

पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 मांग-आधारित योजनाएं हैं जिन्हें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। लाभार्थियों द्वारा पसंद किए गए विभिन्न घटकों के तहत लाभार्थियों का चयन, परियोजनाओं का निरूपण और निष्पादन राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 के योजना दिशानिर्देशों में 'अनाथों' के लिए आवासों की बुकिंग/पंजीकरण या आबंटन के आरक्षण का प्रावधान नहीं हैं। हालाँकि, इन दिशा-निर्देशों के अनुसार, विधवाओं, अकेली रह रही महिलाओं, दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों, ट्रांसजेंडरों, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबंधित व्यक्तियों, अल्पसंख्यकों और समाज के अन्य कमजोर और असुरक्षित वर्गों को प्राथमिकता दी जाती है।

***